स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-Daff/26/2020-O/o DIR(TC)(Rajasthan)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 15.06.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
ज्ञानगंगा निजी आईटीआई,
अंबुजा सीमेंट कोरहा बालूपुरा (राबरियावास),
जिला - पाली, राजस्थान - 306709

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

संचालक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक प.स.: 7(12)/प्र-1 / प्रा. औप्रस. / De.Aff. / 2020/25138 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 11.06.2021 को ईमेल द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमे यह बताया गया है कि **आपके संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाया गया है** । अंत: राजस्थान सरकार द्वारा आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन किए जाने की अनुशंसा की गई है । **(पत्र की प्रति संलग्न)**

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के **15 दिन के भीतर (30.06.2021 तक)** प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते है । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

- आप कारण बताओ नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

सुनील गुप्ता
(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, कौशल नियोजन एवं उधमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), W-6 रेसीडेंसी रोड़ गौरव पथ, जोधपुर-342001, (राजस्थान) ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08001631) ।

रवि 15/6/2021
(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण), राजस्थान, जोधपुर
डब्ल्यू–6,रेजिडेन्सी रोड़ गौरव पथ, जोधपुर 342001

क्रमांक –प.स.7(12)/प्र–1/प्रा.औप्रस./De.Aff./2020/25138 दिनांक 11.06.2021

उपमहानिदेशक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कौशल विकास एंव उद्यमशिलता मंत्रालय,
रूम नं. 105,प्रथम तल, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज बिल्डिंग,
पूसा आईटीआई केम्पस के पास, पूसा नई दिल्ली–110012

विषयः–प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के डीएफिलेशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी परीक्षा शाखा जोधपुर द्वारा विभिन्न पत्र प्रेषित कर निम्नलिखित प्राइवेट औ.प्र.संस्थानों में औजार उपकरण,साजो सामान नहीं होने के कारण संस्थान में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 का संचालन नहीं होने के कारण इन संस्थानों के विरूद्ध डीएफिलेशन की कार्यवाही प्रस्तावित की गयी थी। राज्य निदेशालय द्वारा इन संस्थानों को कारण बताओं नोटिस जारी कर इनसे स्पष्टीकरण/प्रतिउत्तर मांगा गया था। इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन करवाये जाने पर संस्थान एनसीवीटी मानदण्डानुसार संतोषपूर्ण नहीं पाये गये। विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	NCVT MIS CODE	औ.प्र.संस्थानों के नाम	संलंग्न
1.	PR08001631	GYAN GANGA PRIVATE ITI, AMBUJA CEMENT BALUPURA, DIST. PALI	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एव निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एंव जांच रिपोर्ट।
2.	PR08001362	NEW TARGET PRIVAE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,TEHSIL. CHOMU, DIST. JAIPUR-303702 RAJASTHAN	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एव निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रतिएंव जांच रिपोर्ट।
3.	PR08000136	VISHVAKARMA PRIVATE INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, NEAR GOVT. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MALPURA ROAD, DUDU (JAIPUR)	आरसीवीईटी जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति एव निदेशालय जोधपुर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति एंव जांच रिपोर्ट।

उपरोक्त संस्थानों के अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर 2020 दौरान पाई गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं एन सी वी टी मानदण्डों के अनुसार संचालन नहीं पाये जाने के कारण डीएफिलिएशन की कार्यवाही प्रस्तावित है। कृपया डीएफिलिएशन की कार्यवाही शीघ्र कराने की आवश्यक कार्यवाही करा सूचित कराने का श्रम करावे।

संलंग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक प्रशिक्षण

क्रमांक –प.स.7(12)/प्र–1/प्रा.औप्रस./De.Aff./2020/25139-142 दिनांक 11.06.2021

प्रतिलिपीः–

1. निजी सचिव, कार्यालय राज्य मंत्री, कौशल नियोजन एंव उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को सुचनार्थ।
3. निदेशक आर.सी.वी.टी. जोधपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।
4. निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग जी–3/1, राजमहल रेजीडेंन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक प्रशिक्षण

राजस्थान सरकार

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग,

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर

आई.टी.आई. सर्कल के पास, सरस डेयरी रोड़, हेवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (342003)

E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com, rcvet.exam.raj@gmail.com

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र–5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/ 7-3338 दिनांक: 24/11/

निदेशक प्रशिक्षण,
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान,
जोधपुर।

विषयः ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण (जिला–पाली) के संबंध में।

संदर्भः आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली के कार्यालय आदेश क्रमांक 958 दिनांक 26.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवम्बर, 2020 हेतु डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 (प्रति संलग्न) के निर्देशानुसार औ.प्र. संस्थानों को **Self Center** बनाये गये थे। पाली जिले में स्थित ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण को भी परीक्षा का Self Center बनाया गया था।

दिनांक 25.11.2020 व 26.11.2020 को उडनदस्ता निरीक्षण दल द्वारा ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संस्थान में एनसीवीटी के मानदण्डानुसार आवश्यक औजार–उपकरण, साजो–सामान उपलब्ध नहीं था। प्रकरण अध्यक्ष, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली के संज्ञान में लाया गया तथा डीजीटी के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार उक्त संस्थान में परीक्षा निरस्त की जाकर प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा राजकीय औ.प्र. संस्थान, जैतारण में आयोजित करने की व्यवस्था की गई। प्रकरण में आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली द्वारा जारी कार्यालय आदेश की प्रति मय उडनदस्ता निरीक्षण दल प्रभारी की रिपोर्ट संलग्न है।

अतः डीजीटी भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 19.12.2019 के निर्देशानुसार ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान, बलूपुरा, त. जैतारण (जिला–पाली) में एनसीवीटी मानण्डानुसार औजार–उपकरण, साजो–सामान उपलब्ध नहीं होने तथा परीक्षा संचालन नहीं हो पाने की स्थिति के फलस्वरूप संस्थान के विरुद्ध **Deaffiliation** की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

निदेशक, आरसीवीईटी

क्रमांक : प.स.9(5)/प्र–5/आरसीवीईटी/परीक्षा/नव.2020/ 7-3339-41 दिनांक: 24/11/20

1. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
2. उपनिदेशक प्रशिक्षण, प्राविधिक शिक्षा, क्षैत्रीय कार्यालय, जोधपुर।
3. आचार्य एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति पाली

उपनिदेशक, आरसीवीईटी

राजस्थान सरकार
कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
6, गौरव पथ, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर (राज.)

क्रमांकःआ.–प्रा.शि.नि. / निरीक्षण / 20–21 / 10051 — दिनांक 13/1/2021

प्राचार्य / अधीक्षक
ज्ञानगंगा प्राईवेट औ.प्र. संस्थान
वलूपुरा, त. जैतारण जिला पाली

P1667

कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice)

विषय– संस्थान के एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान पायी गयी गम्भीर कमियों / अनियमितताओं (Deficiencies / Irregularaties) के स्पष्टीकरण के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरसीवीईटी के पत्र क्रमांक 79938 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा आपके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एनसीवीटी परीक्षा नवम्बर 2020 के दौरान शिकायत / जॉच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हुई है। उपरोक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गयी हैं।

निरीक्षण के दौरान आपके संस्थान, में निम्न कमिया पायी गयी –

1. दिनांक 25.11.2020 व 26.11.2020 को उडनदस्ता निरीक्षण दल द्वारा आपके संस्थान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में संस्थान में एनसीवीटी के मानदण्डानुसार आवश्यक औजार उपकरण, साजो–सामान उपलब्ध नहीं थे।
2. कार्डिनेटर की सूचना अनुसार साजो सामान नहीं होने के कारण एनसीवीटी प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न नहीं करवायी जा सकी।
3. उड़न दस्ता निरीक्षण दल पर अनावश्यक दबाव बनाना।
4. संस्थान द्वारा परीक्षा संबंधी अति महत्वपूर्ण कार्य में गम्भीर अनियमितता की गई है।

अतः आपको इस नोटिस के साथ निर्देशित किया जाता है कि संस्थान अपना स्पष्टीकरण (मय प्रमाण) के रूप में 10 दिवस की अवधि में निदेशालय को प्रेषित करें।

कृपया अवगत रहे कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की स्थिति व NCVT Norms अनुसार संस्थान का संचालन न होने की स्थिति में संस्थान के विरूद्ध डी–एफिलिएशन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए प्रकरण डीजीटी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा।

भवदीय
13/1/2021
निदेशक, प्रशिक्षण

आईटीआई (ITI) हेतु निरीक्षण प्रपत्र

➢ निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद — कार्येन्द्र शर्मा उपनिदेशक, जसवन्त सिंह निर्वाण अधीक्षक, शैलेन्द्र नामा प्रशिक्षक, दिलीप कुमार लोहार अनुदेशक

➢ निरीक्षण दिनांक व समय — 06-3-2021 11.00 AM

भाग–1 : सामान्य

1.	संस्थान का नाम, पता वेबसाईट पता एवं दूरभाष नं0 P CODE/ DGT MIS CODE	ज्ञान गंगा प्राइवेट आई.टी.आई. संस्थान, बलुपुरा तह-जैतारण जिला-पाली - 306709. www.gyangangaiti.com. mail- princi.gyanganga@gmail.com P1667 / PR08001631
2.	संस्थान प्रधान का नाम एवं पद	नरेन्द्र सैनी, अधीक्षक
3.	संस्थान की दैनिक कार्यावधि	प्रथम पारी – 8.00AM बजे से 3.00 PM बजे तक द्वितीय पारी – 10.00 A.M. बजे से 5.00 P.M बजे तक

4. स्वीकृत व्यवसाय, प्रवेश एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति :

	स्वीकृत व्यवसाय/ यूनिट का नाम (shift)	NCVT / SCVT	वास्तविक प्रवेश संख्या	उपस्थिति पंजिका में दर्ज उपस्थिति संख्या	वास्तव में उपस्थित पाये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कक्षा / कार्यशाला में अनुदेशक उपस्थित हैं अथवा	कक्षा में अध्ययन/ कार्यशाला में अभ्यास चल रहा है अथवा नहीं	व्यवसाय हेतु संस्थान में अनुदेशक उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि है तो उसका नाम व निरीक्षण तिथि को उपस्थिति की वस्तुस्थिति क्या है तथा (नाम– उपस्थित/अनुपस्थित)
1	मैकेनिक डीजल 1st	NCVT	20	04	04	हाँ	हाँ	मुकेश बोहरा – उपस्थित
2	मैकेनिक डीजल 2nd.	NCVT	23	10	10	हाँ	हाँ	दिनेश सिंह – उपस्थित
3	मैकेनिक डीजल 3rd	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	—
4	इलेक्ट्रीशियन 1st	NCVT	02	00	00	नहीं	नहीं	अनुदेशक नहीं लगा रखा है।
5	इलेक्ट्रीशियन 2nd	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	—
6	हेल्थ सेनेट्री इन्स्पेक्टर 1st	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	कार्यशालाओं में कोई साज सामान नहीं
7	—— " —— 2nd	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	—— " ——
8	कॉस्मेटोलॉजी	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	—— " ——
9	—— " ——	NCVT	NIL	NIL	NIL	—	—	—— " ——
10								ड्राईंग कार्यशाला अनुदेशक – शैलेन्द्र सिंह गहलोत – P
11								IT लैब अनुदेशक – उपलब्ध नहीं
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या की पुष्टि प्रवेश पोर्टल से करें।)

06/3/21

6/3/21.

कक्षा कक्ष व कार्यशाला में प्रशिक्षण की व्यवस्था	
(अ) कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था	उपलब्ध
(ब) कार्यशाला में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित औजार उपकरण व मशीनरी की उपलब्धता व स्वच्छता	संलग्न सूची में उल्लेखित
(स) प्रत्येक मशीन पर मैन्टीनेन्स चार्ट की उपलब्धता	उपलब्ध नहीं
(द) लॉग बुक अनुरक्षण	उपलब्ध नहीं
(य) Syllbus Break up की उपलब्धता	उपलब्ध
(ल) वीकली प्रोग्राम अद्यतन है या नहीं	उपलब्ध
(व) निमी सैद्धान्तिक (Trade Theory) व प्रायोगिक (Trade Practical) व Assignment पुस्तकों की उपलब्धता एवं उपयोग	उपलब्ध
(श) ऑडियो विजुअल (Projector) उपकरणों की उपलब्धता एवं उपयोग	उपलब्ध
(स) प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता एवं अद्यतन है अथवा नहीं	अद्यतन है
6. विद्युत एवं जल व्यवस्था (अ) निर्धारित विद्युत भार की थ्री फेज सप्लाई (ब) कार्यशाला व कक्षाओं में रोशनी व पंखों की व्यवस्था	निर्धारित..........किलोवॉट /उपलब्ध 25........ किलोवॉट पर्याप्त / अपर्याप्त
(स) जल का स्रोत व भंडारण व्यवस्था (नल कनेक्शन पीएचईडी/बोर-वैल/कुंआ, एवं भंडारण हेतु क्या व्यवस्था है)	PHED का जल कनेक्शन
7. पुस्तकालय की व्यवस्था	उपलब्ध
8. सुरक्षा	
(अ) कार्यशाला व कक्षाओं में वायरिंग उचित प्रकार से है	नहीं
(ब) विद्युत चलित मशीनों व उपकरणों की अर्थिंग की हुई है	नहीं
(स) मशीनों एवं इनके घूमने वाले पार्टस् पर सुरक्षा गार्ड लगे हैं	नहीं
(द) अग्निशमन यंत्र उचित स्थान पर लगे हैं व चालू हालत में हैं	नहीं
9. प्रशिक्षणार्थियों के लिये सुविधायें (अ) स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	उपलब्ध है
(ब) शौचालय की व्यवस्था	उपलब्ध है
(स) खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था	उपलब्ध नहीं
(द) प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था	उपलब्ध
10. संस्थान की व्यवस्था (अ) परिसर की स्वच्छता एवं सुन्दरता	सन्तोषप्रद
(ब) संस्थान भवन का अनुरक्षण	—"—
(स) शौचालयों की सफाई व्यवस्था	—"—
(द) कक्षाओं में फर्नीचर की उपलब्धता	—"—
(य) ड्रेस कोड एवं पहचान पत्र की पालना की जा रही है (प्रशिक्षणार्थी जूते एवं एप्रन पहने हुए है अथवा नहीं)	नहीं
11. संस्थान प्रबन्धन (अ) संस्थान प्रबन्धन समिति (IMC) अथवा स्थानीय सलाहकार समिति (LAC) गठित है अथवा नहीं	लागू नहीं
(ब) समिति की बैठक सामयिक रूप से आयोजित हो रही है अथवा नहीं।	लागू नहीं

12 निरीक्षण अधिकारी की अभिशंषा : संस्थान NCVT मापदण्डानुसार ~~संतोषपूर्ण पाया गया~~। / अथवा ✓ संतोषपूर्ण नहीं पाया गया।

13 निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :-(निरीक्षण अधिकारी संस्थान में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अंकित करें तथा पाई गई अनियमितताओं/ कमियों/ विशेषताओं के संबंध में अपनी सारगर्भित टिप्पणी यहां अंकित करें।

(1) [illegible] अनुपस्थित (2) Mech Diesel व्यवसाय में [illegible] वायरिंग का अभाव (3) Mech Diesel ट्रेड की मशीनें (कंडम) [illegible] नहीं (4) इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में वायरिंग दोषपूर्ण (5) इलेक्ट्रीशियन अनुदेशक नियुक्त नहीं (6) इलेक्ट्रीशियन अनुदेशकों की अनुपलब्धता से केवल [illegible] पर उपलब्ध सारे सामान की जाँच की गयी (7) IT लेब में [illegible] उपलब्ध नहीं एवं अनुदेशक नियुक्त नहीं (8) मैके. डीजल के अनुदेशक [illegible] योग्यताधारी नहीं (9) [illegible] का कोई साजो सामान उपलब्ध नहीं है।

संस्थान प्रभारी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
PRINCIPAL
GYANGANGA I.T.I.
BALUPURA, JAITARAN

[illegible] आफिसर
ITI [illegible]

06/3/21
(जसवन्तसिंह [illegible]) (बोलूराम)
[illegible]
ITI PC Jodhpur ITI जैतारण

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर व दिनांक
6/3/21